प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 11.06.2026

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01.बेचन पुत्र झांगुर निवासी मिश्रौलिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02. भोलहू पुत्र सदल निवासी मिश्रौलिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरगनगर 03. बेगमती पत्नी शेषमन निवासी मिश्रौलिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश, हे0का0 दिनेश प्रसाद, हे0का0 अजय कुमार सिंह, रि0म0का0 अमृता सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 203 वाहनों से 2,65,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 11.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 203 वाहनों से 2,65,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री उमाशंकर त्रिपाठी*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 221/2026 धारा 115(2), 351(3), 109, 118(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता 01. नईम असरफ उर्फ कामरान असरफ पुत्र समीम अहमद निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 11.06.2026 को मंगल बाजार ठाकुर मंदिर के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 05.06.2026 को वादी श्री श्याम कुमार पुत्र स्व० झीनक प्रसाद गुप्ता निवासी मोहल्ला ठठरहिया मो0 बखिरा थाना बखिरा सन्तकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी के उपर लोहे की राड, पंच व धारदार हथियार से जान मारने की नीयत से हमला करने, जिससे वादी के अचेत हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त को आज दिनांक 11.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार तिवारी, का0 प्रमोद शर्मा।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एक अदद अवैध देशी पिस्टल .32 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल ***श्री राकेश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा अभियुक्त नाम पता 01. राहुल सोनी पुत्र सुभाषचन्द्र सोनी निवासी कस्बा रुधौली बखिरा रोड थाना रुधौली जनपद बस्ती को प्रेमा स्कुल के पश्चिम तिराहा बहदग्राम अछिया से एक अदद अवैध देशी पिस्टल .32 बोर के साथ दिनाँक 10.06.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 239/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-
01. राहुल सोनी पुत्र सुभाषचन्द्र सोनी निवासी कस्बा रुधौली बखिरा रोड थाना रुधौली जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद अवैध देशी पिस्टल .32 बोर।

पुलिस टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, कां0 अनुराग कुमार सिंह, कां0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, कां0 उदय प्रताप सिंह।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकराश दुबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 495/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता 01. अखिलेश उर्फ छट्टू पुत्र विजय प्रकाश चौधरी निवासी शिवापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 11.06.2026 को कबीर मठ को जाने वाली हाईवे काला गेट के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 10.06.2026 को वादी द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री महेश्वर चौधरी, का0 अरूण कुमार, रि0का0 विकास वर्मा, म0का0 सविता गुप्ता।

***क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत मोबाइल को हैक करके साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना मेंहदावल पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 25,000रू की धनराशि ***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मोबाइल को हैक करके UPI के माध्यम से 25,000.00 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में साइबर सेल थाना मेंहदावल की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए पूर्ण धनराशि को वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- आवेदक श्री जगदम्बा त्रिपाठी पुत्र स्व0 जयप्रकाश त्रिपाठी निवासी ग्राम बेलौली थाना मेंहदावल जनपद संतकबीर नगर के साथ अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा आवेदक का मोबाइल हैक करके 25,000 रुपये की धोखाधड़ी की गयी। शिकायत प्राप्त होने पर साइबर सेल थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर की टीम द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या- 33106260129680 को संज्ञान में लेकर सम्बन्धित बैंक से संपर्क कर व तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से पूर्ण धनराशि को वापस कराया गया। अपनी धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा जनपद पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर टीम में शामिल कर्मचारीगण :- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, आरक्षी संदीप कुमार गौतम, आरक्षी सौरभ कुमार, रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार।

क्रैक साइबर क्राइम के साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना बखिरा पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 10,000रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना बखिरा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गलत फोटो बनाकर ब्लैकमेल करके ट्रांसफर करायी यी 10000रु0 की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री यदुनाथ पुत्र मोलहू प्रसाद निवासी देवकली कोपिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से दिनाँक 15.05.2025 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गलत फोटो बनाकर ब्लेकमेल करके 10000 की धनराशि ट्रांसफर करवा लिया गया। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल थाना बखिरा में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी सुमन कुमारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 23105250072187 पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से पूरी धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर सेल टीम: व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, आरक्षी चन्द्रभान सिंह, महिला आरक्षी अनामिका सिंह, महिला आरक्षी सुमन।

अपील

जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधि0 के अपराध में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1050 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 11.06.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0 (जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रामआशीष यादव द्वारा अभियुक्त अब्दुल करीम पुत्र बुद्धू बंजारा निवासी परदेशवां थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती के पास से 16 राशि गोवंशीय पशु जिनको मारते पीटते क्रुरता पूर्वक वध हेतु ले जाया जा रहा था, बरामद करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया था। विवेचक उ0नि0 श्री मु0 इसहाक द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 1105/03 धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल करीम उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने गुमशुदा 11 वर्षीय बालक को 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द

आज दिनांक 11.06.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गुमशुदा बालक को 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पर श्री शैलेंद्र कुमार यादव पुत्र रामदुलारे निवासी हैडिल कॉलोनी, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर द्वारा सूचना दी गई कि उनका पुत्र रघुराज यादव उम्र लगभग 11 वर्ष दिनांक 11.06.2026 को समय करीब 12:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया है।

सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा तत्काल खोजबीन प्रारंभ की गई। चौकी प्रभारी तितौवा श्री हरिकेश बहादुर सिंह मय पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा प्राप्त मोबाइल नम्बर की लोकेशन के आधार पर लगातार प्रयास किए गए। त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम सूचनाकर्ता के साथ जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र पहुंची, जहां से गुमशुदा बालक रघुराज यादव को घटना के लगभग 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया गया।

बरामदगी के उपरांत बालक को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय अथवा आपराधिक घटना कारित नहीं हुई थी।

परिजनों द्वारा संतकबीरनगर पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता एवं प्रभावी कार्यवाही की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।